

कार्यालय— नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम वाराणसी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सेवा में,

**Tulsi Vidya Niketan,
Nagwa, Varanasi.
Uttar Pradesh 221005.**

पत्रांक—12/SBM/vm c/24-25

दिनांक—10.04.2024

विषय: स्वच्छता प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके संस्थान (Tulsi Vidya Niketan, Nagwa, Varanasi) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 02.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो स्वच्छता के सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग किये जाने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में विद्यालय परिसर की दिनांक 09.04.2024 को जांच की गयी। जांचोंपरान्त स्वच्छता संतोषजनक पायी गयी है।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के साथ जारी किया जाता है—

1. परिसर के अन्दर एवं बाहर पूरे वर्ष भर साफ-सफाई रखा जाय।
2. परिसर के अन्दर का शौचालय एवं मूत्रालय पूरे वर्ष भर साफ एवं स्वच्छ रखा जाय।
3. परिसर से उत्सर्जित गीले एवं सूखे कूड़े का सम्यक निस्तारण नियमानुसार करें।
4. शासन द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरिबैग एवं प्लास्टिक या थर्मोकोल इत्यादि का प्रयोग आपके प्रतिष्ठान द्वारा नहीं किया जायेगा।
5. स्वच्छ भारत मिशन के गाइडलाइन का पालन किया जायेगा।
6. ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के विपरीत हो।
7. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट:— उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से एक वर्ष के लिए वैध होगा।


10.04.2024
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम वाराणसी